राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 196/2016

तारा सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)।
2. उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, भरतपुर (राज.)।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, सवाई माधोपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.02.2016
आदेश की दिनांक : 05.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री देवी सिंह चौधरी, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को प्रथम ग्रीष्मावकाश का वेतन का भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी शारीरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 26.03.1994 को नियुक्त हुआ और उसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, तलवाडा खंडार, सवाई माधोपुर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी को परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर उसे स्थायी घोषित किया गया, परंतु ग्रीष्म अवकाश का वेतन उसे नहीं दिया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने विभाग को अभ्यावेदन दिनांक 21.07.2009, 20.09.2012, 23.09.2013, 30.09.2013 एवं 10.04.2014 को प्रस्तुत किया, परंतु उस पर कोई विचार नहीं किया गया। उनका कथन है कि इस प्रकार के समान मामले में भी विभाग द्वारा कई कार्मिकों को ग्रीष्म अवकाश का वेतन का भुगतान किया गया, परंतु अपीलार्थी को वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को प्रथम ग्रीष्मावकाश का वेतन का भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी शारीरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 26.03.1994 को नियुक्त हुआ और उसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, तलवाडा खंडार, सवाई माधोपुर पदस्थापित किया गया। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य